न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा **R.A.S.**
राजस्व वाद संख्या :– 67/2023 पुराना, 381/2023नया दायर तारीख :– 25.07.2023

1. बजरंग लाल पुत्र श्री बंशी।
2. कजोड पुत्र श्री बंशीधर ग्राम धोल्या का बास पोस्ट बाघावास जयपुर 303603

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री नाथु
2. चंदा पुत्र श्री हनुमान
3. जगदीश पुत्र श्री नाथु
4. मदनलाल पुत्र श्री हनुमान
5. मालीराम पुत्र श्री हनुमान
6. लालाराम पुत्र श्री हनुमान
7. शंकरलाल पुत्र श्री हनुमान
   समस्त निवासीयान नदी का किनारा ग्राम धोलिया का बास पोस्ट बाघावास वाया रेनवाल बाघावास जयपुर राजस्थान 303603
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा किशनगढ रेनवाल जरिये शाखा प्रबन्धक
9. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड , शाखा चौमु तहसील चौमू जिला जयपुर
10. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा करणसर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, कि0रेनवाल

प्रतिवादीगण

वाद बाबत आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मुकेश बगडिया अधिवक्ता वादी
श्री जयंत चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 10/11/25

1. वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बाघावास, पटवार हल्का बाघावास तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर मे स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.5184 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.1897 हैक्टैयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.3024 हैक्टैयर जिसमें वादी संख्या 1 की हिस्सा 1/4 खातेदारी, तथा वादी संख्या 2 की हिस्सा 1/4 खातेदारी पृथक पृथक, हिस्सा 1/8 की खातेदारी पृथक पृथक प्रतिवादी संख्या 1 व 3 तथा हिस्सा 1/20 की खातेदारी पृथक पृथक प्रतिवादी संख्या 2, 4 लगायत 7 के नाम दर्ज है। उपरोक्त संपति पर वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि कृषि भूमि पृथक पृथक 1/4, 1/4 पर काबिज काश्त है। वादीगण वाद संपति में अपने हक हिस्से की आराजीयात की भूमि को पत्थर के कातले लगाकर, कटिले तार व जाली लगाकर, महदूद व सुरक्षित कर रखा है। उपरोक्ता आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। परन्तु मनबट से बंटवारा कर रखा है। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजीयात पर बाजरे की फसल बुवाई दिनांक 03.06.2023 को की है। प्रतिवादी संख्या 5,6,7 आपराधिक किस्म के व्यक्ति है। जो आये दिन भूमि के मनबट से कर रखे बंटवारे की निर्धारित कर रखी सीवंडोल के साथ तारबन्दी व जाली के साथ तोडफोड व छेडखानी कर वादीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। एंव वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

हक हिस्से की आराजीयात व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की धमकीया देकर, कब्जा करने की कोशिश करते रहते है। अपनी इसी बदनियती के चलते प्रतिवादी संख्या 5,6,7 ने दिनांक 09.03.2023 को वादी संख्या 1 की भूमि पर कब्जा करने की नियत से वादी संख्या 1 की कब्जे काश्त की भूमि की पूर्वी दिशा की तारबन्दी , जाली जो कातलों के सहारे लगी हुई थी, में कातलों को तोडफोडकर , उन्हे हटा दिया था तथा तारबन्दी व जाली को भी हटा दिया। वादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5,6,7 को उक्त संदर्भ में आपत्ति की गई तो प्रतिवादी संख्या 5,6,7 आग बबुला हो गये। जिनकी शिकायत वादी संख्या 1 द्वारा पुलिस थाना रेनवाल को की गई, परन्तु प्रतिवादी संख्या 5,6,7 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसी का लाभ उठाकर दिनांक 12.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 5,6,7 ने वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर कर रखी बीजाई वाली भूमि पर कब्जा करने के लिए 8–10 व्यक्तियों को लेकर आ गये तथा धमकी देने लगे की आज वे वादीगण को वादीगण की कब्जे काश्त व बीजाई वाली भूमि से बेदखल कर कब्जा करके ही रहेंगें जिसका वादीगण द्वारा कडा ऐतराज किया गया तो प्रतिवावादी संख्या 5,6,7 तासमय चले गये। परन्तु धमकी देकर गये कि वे अपने मन्सूबों को पूरा करके कही दम लेंगें प्रतिवादी संख्या 5,6,7 द्वारा दिनांक 09.03.2023 व दिनांक 12.06.2023 को कारित उक्त घटनाक्रम के कारण वादपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01से 07 की ओर वकील जयंत चौधरी ने वकालतनामा पेश किया व जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी 8,09,10 फार्मल पार्टी है। प्रतिवादी संख्या 11 पैरोकार सरकार है। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता0 7 की ओर मौके के कब्जे अनुसार तकासमा हेतु सहमति आदेशिका पर व्यक्त की।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी पेश की।
4. प्रकरण दिनांक 08.08.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार कि0रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस उभय पक्षकारान व पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक उभय पक्षकारान अधिवक्ता की ओर से नक्शें कुर्रेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुर्रेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुर्रेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शें कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का अनन्य भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे। वाकै ग्राम बाधावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	कजोड पुत्र बंशी हि0 1/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा रेनवाल बजरंग लाल पुत्र बंशी हि0 1/4 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा चौमू जाति अहीर सा0 देह खातेदार गोपाल पुत्र नाथू हि0 1/8 राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 शाखा चौमू चन्दाराम पुत्र हनुमान हि0 1/20 मदनलाल पुत्र हनुमान हि0 1/20 मालीराम पुत्र हनुमान हि0 1/20 लालाराम पुत्र हनुमान हि0 1/20 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि0 1/20 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1054/3 1055/2	0.0150 0.3414	बारानी–1 बारानी–1 (गै0मु0रास्ता)
	कुल किता	2	0.0214	
2	कजोड पुत्र बंशी हि0 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा कि0 रेनवाल बजरंगलाल पुत्र बंशी हि0 1/2 राहिन एच.डी. एफ.सी. बैंक लि0 शाखा चौमू जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1054/2 1055/1	0.4572 0.1833	बारानी–1 बारानी–1
	कुल किता	2	0.6405	
3	गोपाललाल पुत्र नाथू हि0 1/4 जगदीश पुत्र नाथू हि0 1/4 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा चौमू चन्दाराम पुत्र हनुमान हि0 1/10 मदनलाल पुत्र हनुमान हि0 1/10 मालीराम पुत्र हनुमान हि0 1/10 लालाराम पुत्र हनुमान हि0 1/10 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि0 1/10 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1053 1054/1	0.5943 0.0462	बारानी–1 बारानी–1
	कुल किता	2	0.6405	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन तथा कुर्की संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 10/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

बजरंग बनाम गोपाल वगैरा
वाद सं0 67/2023

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल
बइजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

1. बजरंग लाल पुत्र श्री बंशी।
2. कजोड पुत्र श्री बंशीधर ग्राम धोल्या का बास पोस्ट बाघावास जयपुर 303603

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री नाथु
2. चंदा पुत्र श्री हनुमान
3. जगदीश पुत्र श्री नाथु
4. मदनलाल पुत्र श्री हनुमान
5. मालीराम पुत्र श्री हनुमान
6. लालाराम पुत्र श्री हनुमान
7. शंकरलाल पुत्र श्री हनुमान
   समस्त निवासीयान नदी का किनारा ग्राम धोलिया का बास पोस्ट बाघावास वाया रेनवाल बाघावास जयपुर राजस्थान 303603
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा किशनगढ रेनवाल जरिये शाखा प्रबन्धक
9. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड , शाखा चौमु तहसील चौमू जिला जयपुर
10. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा करणसर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, कि0रेनवाल

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नंबर 67/2023 पुराना, 381/23 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश कुमार बगडिया व हाजरी श्री जयंत चौधरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम बाघावास तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	कजोड पुत्र बंशी हि0 1/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा रेनवाल	1054/3	0.0150	बारानी–1
	बजरंग लाल पुत्र बंशी हि0 1/4 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा चौमू जाति अहीर सा0 देह खातेदार गोपाल पुत्र नाथू हि0 1/8 राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 शाखा चौमू चन्दाराम पुत्र हनुमान हि0 1/20 मदनलाल पुत्र हनुमान हि0 1/20 मालीराम पुत्र हनुमान हि0 1/20 लालाराम पुत्र हनुमान	1055/2	0.3414	बारानी–1 (गै0मु0रास्ता)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

	हि0 1/20 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि0 1/20 जाति अहीर सा0 देह खातेदार			
	कुल किता	2	0.0214	
2	कजोड पुत्र बंशी हि0 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा कि0 रेनवाल बजरंगलाल पुत्र बंशी हि0 1/2 राहिन एच.डी. एफ.सी. बैंक लि0 शाखा चौमू जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1054/2 1055/1	0.4572 0.1833	बारानी–1 बारानी–1
	कुल किता	2	0.6405	
3	गोपाललाल पुत्र नाथू हि0 1/4 जगदीश पुत्र नाथू हि0 1/4 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा चौमू चन्दाराम पुत्र हनुमान हि0 1/10 मदनलाल पुत्र हनुमान हि0 1/10 मालीराम पुत्र हनुमान हि0 1/10 लालाराम पुत्र हनुमान हि0 1/10 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि0 1/10 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1053 1054/1	0.5943 0.0462	बारानी–1 बारानी–1
	कुल किता	2	0.6405	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन तथा कुर्की संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। निर्णय दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ-रेनवाल

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल के आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/503 दिनांक 26-08-2025 राजस्व वाद सं. 67/2023 पुराना 381/23 नया उनवान बजरंगलाल बनाम गोपाल वगैरह में निर्णय दिनांक 08-08-2025 व श्रीमान तहसीलदार महोदय कि. रेनवाल के आदेश क्रमांक/LR/5119 दिनांक 27-08-2025 की पालना में ग्राम- बाधावास के खसरा संख्या 1053, 1054, 1055 की नक्शे कुरेजात निम्नानुसार है:-

वर्तमान प्रविष्टि						नवीन प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	लगान	खातेदार विवरण	खातेदार विवरण	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
105	1053	0.5943	बारानी I	2.21	कजोड़ पुत्र बंशी हि. 1/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा कि. रेनवाल बजरंग लाल पुत्र बंशी हि. 1/4 राहिन HDFC बैंक लि. शाखा चौमूं गोपाल पुत्र नाथू हि. 1/8 जगदीश पुत्र नाथू हि. 1/8 राहिन HDFC बैंक लि. शाखा चौमूं चन्दाराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 मदनलाल पुत्र हनुमान हि. 1/20 मालीराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 लालाराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि. 1/20 जाति अहीर स्या. देह खातेदार।	(1) कजोड़ पुत्र बंशी हि. 1/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा कि रेनवाल बजरंगलाल पुत्र बंशी हि. 1/4 राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा चौमूं गोपाल पुत्र नाथू हि. 1/8 जगदीश पुत्र नाथू हि. 1/8 राहिन HDFC बैंक लि. शाखा चौमूं चन्दाराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 मदनलाल पुत्र हनुमान हि. 1/20 मालीराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 लालाराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि. 1/20 जाति अहीर स्या. देह खातेदार।	1054/3	0.0150	बारानी I	0.06
	1054	0.5184	बारानी I	1.93			1055/2	0.0064	बारानी	0.02
	1055	0.1897	बारानी I	0.71						
योग: 3		1.3024	–	4.85		योग:-	2	0.0214	–	0.08

P.T.O.

जगदीश

चन्दाराम

क जोड़

अ.नि. मालीराम

अ.नि. गोपाल

ह. प्रभा बाधावास 29-09.2025

ह. 29.09.2025 ILR बाधावास

तहसीलदार (भू.अ.)
कि. रेनवाल (जयपुर)

वर्तमान प्रविष्टि						नवीन प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	लगान	खातेदार विवरण	खातेदार विवरण	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
						② कजोड़ पुत्र बंशी हि. 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा कि. रेनवाल बजरंगलाल पुत्र बंशी हि. 1/2 राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा चौमूं जाति अहीर सा. देह खातेदार	1054/2 1055/1	0.4572 0.1833	बारानी I बारानी I	1.70 0.69
						योग =	2	0.6405	-	2.39
					नोट - जमाबन्दी खाता सं. 105 में नोट सं. 20 दि. 2-5-25 से कजोड़ पुत्र बंशी के हिस्से पर कुर्की का नोट लगा हुआ है	③ गोपाल पुत्र नाथू हि. 1/4 जगदीश पुत्र नाथू हि. 1/4 राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा चौमूं चन्दाराम पुत्र हनुमान हि. 1/10 मदनलाल पुत्र हनुमान हि. 1/10 मालीराम पुत्र हनुमान हि. 1/10 लालाराम पुत्र हनुमान हि. 1/10 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि. 1/10 जाति अहीर सा. देह खातेदार।	1053 1054/1	0.5943 0.0462	बारानी I बारानी I	2.21 0.17
						योग =	2	0.6405	-	2.38

जगदीश

चन्दाराम

कजोड़

अ.नि. मालीराम

अ.नि. [illegible]

[signature] ह. पटवारी 29-09.2025

[signature] 29-09.2025 ILR कालवाड़

[signature] तहसीलदार (भू.अ.) कि. रेनवाल (जयपुर)

नकल नजरी नक्शा डिजीटल शीट
ग्राम- काचावास, तहसील- किशनगढ़ रेनवाल
जिला- जयपुर (राज.)

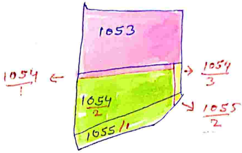

संकेत

→ शामलाती

→ जगदीश गोपाल पि० नाथू
चन्दाराम मदनलाल मालीराम
लालाराम शंकरलाल पि० हनुमान

→ कजोड़ बजरंगलाल पि० बंशी

जगदीश

कजोड़

अ.नि. मालीराम

अ.नि. गोपाल

29.09.2025
ILR [illegible]

ह. पटवारी
29.09.2025

तहसीलदार (भू.अ.)
कि. रेनवाल (जयपुर)